


दिनांक 28.05.2014 को अपराह्न 12.30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत उच्च स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही।

क्र.	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	लम्बित होने का कारण	अपेक्षित कार्रवाई	समिति द्वारा लिये गये निर्णय
1	पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची		प्रधान सचिव, पथ द्वारा बतलाया गया कि स्टोन कशर तथा बालू के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पट्टा के संबंधित मामले पर्यावरण समिति के पास लम्बित होने के कारण बालू एवं पत्थर की उपलब्धता में कठिनाई के कारण योजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है।	PCCF –सह–सदस्य सचिव राज्य पर्यावरण समिति को सभी मामले में शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया तथा अन्य राज्यों की इससे संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा कर प्रक्रिया सरलीकरण की दिशा में कार्रवाई करें।  इस तरह के सभी आवेदनों को ऑन लाइन करने का निदेश दिया गया।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची समयबद्ध तरीके से 90 दिनों के अन्दर इसका समाधान करेंगे।
2	उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची  (क) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन  (ख) कोडरमा कोबर पथ	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना में पोल से सटकर कुछ हाथी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से दोषी मानते हुए एफ0आई0आर0 किया गया।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण इस मामले में केस वापस लेने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।	User agency के प्रतिनिधि द्वारा यह जानकारी दी गई कि जहाँ elephant की मौत हुई है वो elephant corridor defined नहीं है। RCCF द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त कर एकत्र कर लिये गये हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची 30 दिनों के अन्दर इस मामले में केस वापस लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
			कोडरमा कोबर पथ पर पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति नहीं मिली, जिस कारण लाईन सिफ्टिंग नहीं हो पा रहा है।	प्रधान सचिव, पथ द्वारा बताया गया कि यदि ROW होगा तो अनापत्ति देने की कार्रवाई की जायेगी।	Executive Engineer, PWD तथा JSEB दोनों संयुक्त रूप से 15 दिनों के अन्दर इसका समाधान करेंगे।

<p>3. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची</p>		<p>खूंटकटी भूमि, वन भूमि है या रैयत पर विवाद । (राईसा जलासय योजना के लिए प्रस्तावित भूमि)</p>	<p>प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग इस संबंध में निर्णय लेंगे।</p>	<p>प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जानकारी दी गई कि विषयगत भूमि forest land है, अतः इस भूमि के लिए forest clearance की आवश्यकता होगी। प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची मिल कर इसका हल करेंगे। अगर WRD द्वारा इसके लिए compensation का भुगतान नहीं किया है तो जल संसाधन विभाग उसका भुगतान करेगा।</p>
		<p>गुमला जिले में Land Bank के लिए 14000 एकड़ भूमि 3 चिन्हित किया गया है को Compensatory afforestation के उपयोग के लिए कार्रवाई लम्बित है।</p>	<p>इसे शीघ्र Compensatory afforestation clearance हेतु उपयोग के लिए Land Bank बनाने हेतु प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आवश्यक कार्रवाई करेंगे।</p>	<p>प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई कि सभी उपायुक्तों को जंगल-झाड़ वाले भूमि land bank के लिए चिन्हित करने का निदेश दिया गया है। राजस्व विभाग सभी उपायुक्तों से इस संबंध में प्रगति की जानकारी 60 दिनों के अन्दर प्राप्त कर land bank के लिए notify करेंगे।</p>



			अमानत परियोजना में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण लंबित है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, वन प्रमण्डल पदाधिकारी को जल संसाधन के पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण कराकर अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगी।	WRD के प्रतिनिधि के द्वारा सूचना दी गई कि संबंधित DFO निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं। 29-30मई 2014 का दिन निश्चित किया गया है। उक्त तिथि को संयुक्त निरीक्षण DFO तथा WRD के प्रतिनिधि पूर्ण करें।
4	मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची	2. नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू का परिसर विकास।	भूमि की अनुलब्धता।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।	प्रमण्डलीय आयुक्त; WRD द्वारा पूर्व से अर्जित भूमि में से एक महीने में शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करेंगे।
		3. लातेहार जिला में मॉडल कॉलेज का निर्माण।	भूमि की अनुलब्धता।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस कार्य हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। प्रमण्डलीय आयुक्त 30 दिनों में पूर्व अर्जित भूमि मानव संसाधन विभाग को स्थानान्तरित करेंगे।
		4. साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में महिला कॉलेज की स्थापना।	भूमि की अनुलब्धता।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस कार्य हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। प्रमण्डलीय आयुक्त 30 दिनों में पूर्व अर्जित भूमि मानव संसाधन विभाग को स्थानान्तरित करेंगे।

		5. मॉडल कॉलेज, खरसावों का निर्माण।	भूमि की अनुलब्धता।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस कार्य हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। प्रमण्डलीय आयुक्त 30 दिनों में पूर्व अर्जित भूमि मानव संसाधन विभाग को स्थानांतरित करेंगे।
		6. सरायकेला-खरसावों में महिला कॉलेज का निर्माण।	भूमि की अनुलब्धता।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस कार्य हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। प्रमण्डलीय आयुक्त 30 दिनों में पूर्व अर्जित भूमि मानव संसाधन विभाग को स्थानांतरित करेंगे।
5	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची	1. राँची में IIIT की स्थापना	भूमि का स्थानान्तरण नहीं होने के कारण।	50 एकड़ भूमि के विरुद्ध 37.24 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गई है शेष भूमि 13 एकड़ हस्तांतरण का मामला लंबित है। 13 एकड़ भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई अविलम्ब संबंधित प्राधिकार करे।	उपायुक्त, राँची द्वारा सूचित किया गया है कि इसके लिए 13 एकड़ भूमि का भू-अर्जन किया जाना है। उपायुक्त, राँची एक माह के अन्दर भू-अर्जन हेतु नोटिस निर्गत करें।
		2. बोकारो में STPI की स्थापना।	भूमि का चयन नहीं होने के कारण।	बोकारो स्टील सिटी में 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग को पत्र दिया गया। बियाडा द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि को संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा अनुपयुक्त पाया गया। पुनः सचिव इस्पात विभाग भारत सरकार	उपायुक्त, बोकारो सह प्रबन्ध निदेशक, बियाडा को इस कार्य हेतु अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने के लिए निदेश देने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त, बोकारो 15 दिनों के

			<p>को बोकारो स्टील सिटी में 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव के पत्र संख्या-3086 दिनांक 21.09.13 एवं अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या- 3610 दिनांक 28.11.13 एवं विभागीय पत्रांक 94 दिनांक 16.01.14 द्वारा पत्र दिय गया है। अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करायी गई है। भूमि उपलब्ध कराने के फलस्वरूप consultant का चयन कर संभावित निवेश/प्राक्कलन मांगी जाएगी। भूमि उपलब्ध कराने हेतु उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची BSL एवं BIADA के साथ मिलकर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।</p>	<p>अन्दर भूमि चिन्हित करेंगे।</p>
3. IT पार्क की स्थापना।	भूमि का चयन नहीं होने के कारण।	भूमि उपलब्ध कराने हेतु GRDA, योजना विभाग, झारखण्ड, राँची को 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करायी गई है। भूमि उपलब्ध कराने के फलस्वरूप consultant का चयन कर संभावित निवेश/प्राक्कलन मांगी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची इस संबंध में GRDA एवं योजना विभाग से समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।	<p>होटवार स्थित पशुपालन विभाग की 200 एकड़ जमीन आइर्डी10 पार्क के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। भूमि के हस्तांतरण के लिए IT विभाग को cabinet note प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।</p>	
4. National e-governance academy.	भूमि का चयन नहीं होने के कारण लम्बित है।		<p>National e-governance academy की स्थापना के लिए राँची के नजदीक 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, राँची 30 दिनों के अंदर प्रस्ताव प्रमण्डलीय आयुक्त को भेजें।</p>	

पावरग्रिड द्वारा क्रियान्वित की जा रही संचरण योजनायें

क्र०	जिला का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	लंबित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति	समिति द्वारा लिये गये निर्णय
1.	लातेहार	लातेहार	400 KV (quad) एस्सार (चंदवा/लातेहार)-लातेहार संचरण लाईन	19.6732	क०स० 1 से 10 पर उल्लेखित सभी प्रस्तावों में सम्मिलित गैर मजरूआ जंगल-झाड़ भूमि हेतु अभी तक संबंधित उपायुक्त / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है। साथ ही इन परियोजनाओं में सन्निहित वनभूमि के संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अप्राप्त है, जिसके कारण वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रस्ताव भेजने में असमर्थ है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण, झारखण्ड अभियान चलाकर इन सभी लंबित प्रस्तावों पर प्रयोक्ता अभिकरण के पदाधिकारी तथा उपायुक्तों से समन्वय स्थापित करते हुये वन भूमि के गैर शानिकी उपयोग हेतु समयबद्ध कार्रवाई करेंगी। इस प्रकार के सभी मामलों के लिए एक टाईम लाईन निर्धारित करते हुये इसका अनुपालन प्राप्त करेंगी।	Notified forest land को revenue records से अलग करने हेतु प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण और प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची संयुक्त रूप से एक बैठक करेंगे जिसमें सभी संबंधित उपायुक्त/DFO एवं पावरग्रिड तथा डी०भी०सी० के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
2.	रांची, रामगढ़, लातेहार	रांची, रामगढ़, लातेहार	400 KV लातेहार (JSEB) PTPS संचरण लाईन	134.695			
3.	रांची, रामगढ़, लातेहार	रांची, रामगढ़, लातेहार	400 KV PTPS बेड़ो संचरण लाईन	10.264			
4.	रांची, रामगढ़,	रांची, रामगढ़,	220 KV हटिया - रांची (पावरग्रिड) संचरण लाईन	15.221			
5.	बोकारो	बोकारो	220 KV PTPS गोबिन्दपुर संचरण लाईन	63.8835			
6.	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	132 KV जादुगोड़ा - दालभूमगढ़ संचरण लाईन	18.275			
7.	सराईकेला एवं जमशेदपुर	सराईकेला एवं जमशेदपुर	132 KV रामचन्द्रपुर -जादुगोड़ा संचरण लाईन	34.161			
8.	सराईकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम	सराईकेला एवं चाईबासा	220 KV रामचन्द्रपुर - चाईबासा संचरण लाईन	25.15			
9.	सराईकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम	सराईकेला, कोल्हान, पोराहाट एवं चाईबासा	132 KV चाईबासा - मनोहरपुर संचरण लाईन (लाईन की लम्बाई 97.77 कि०मी०)	48.311			
10	सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम	सिमडेगा एवं पोराहाट	132 KV सिमडेगा - मनोहरपुर संचरण लाईन	29.283			

9

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि० द्वारा क्रियान्वित की जा रही संचरण योजनायें

क्र०	जिला का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	लंबित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति	समिति द्वारा लिये गये निर्णय
1.	चतरा दक्षिणी, लातेहार	चतरा दक्षिणी, लातेहार	220 KV चतरा-लातेहार संचरण लाईन	138.64 (लातेहार जिले से संबंधित वनभूमि चिन्हित किया जा रहा है।)	वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अभी तक नोडल पदाधिकारी को समर्पित नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण को निदेश दिया गया कि अविलम्ब वन भूमि अपयोजन हेतु नोडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव समर्पित करें ताकि अनापत्ति हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण और प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची दोनों संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजन करेंगे जिसमें संबंधित एजेन्सी को भी शामिल कर समस्या का समाधान किया जायेगा।
	चतरा	चतरा दक्षिणी	220 KV चतरा-PBCMP (बड़कागँव) संचरण लाईन	121.31			
3.	पलामू, गढ़वा	पलामू, गढ़वा	220 KV डाल्टनगंज - गढ़वा (पावरग्रिड) संचरण लाईन	वनभूमि चिन्हित किया जा रहा है।			
4.	गढ़वा	गढ़वा	132 KV गढ़वा - जपला संचरण लाईन	19.00			
5.	गुमला, सिमडेगा	गुमला, सिमडेगा	132 KV गुमला-सिमडेगा संचरण लाईन	वनभूमि चिन्हित किया जा रहा है।			

राँची जिला के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० राँची (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत)

क्र०	जिला का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	लंबित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति	समिति द्वारा लिये गये निर्णय
1.	राँची	राँची	11 KV फिडर	0.96	क०सं० 1 से 5 पर उल्लेखित सभी प्रस्ताव पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन प्रमण्डल पदाधिकारी/जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के स्तर से अपेक्षित है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी तथा जिले के उपायुक्तों से समन्वय स्थापित करते हुये वन भूमि के गैरवाणिकी उपयोग हेतु समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची तथा प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग संयुक्त रूप से जिले के उपायुक्तों तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
2.	राँची	राँची	11 KV फिडर	0.94			
3.	राँची	राँची	33 KV लापूग फिडर	0.2976			
4.	राँची	राँची	11 KV फिडर राजाउलातू से कुदागाड़	0.86			
5.	गोड़डा	गोड़डा	11 KV फिडर	0.92			

2

● जीव गाँधी विद्युतीकरण योजना (डी०बी०सी०)

क्र०	जिला	अनुमण्डल	प्रस्ताव का नाम (33 के०बी०ए०)	एरिया(हे०)	लंबित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति	समिति द्वारा लिये गये निर्णय
1	चतरा	दक्षिणी चतरा	सिमरिया से लावालौग	9.274	दिनांक 15.10.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। GoI द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को FRA Certificate submit करने को कहा गया है, जो लम्बित है।	प्रयोक्ता अभिकरण को अविलम्ब FRA Certificate उपलब्ध करायेंगे।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची सभी संबंधित उपायुक्तों के साथ FRA Certificate के लिये एक बैठक आयोजित करेंगे। जिसमें डी०बी०सी० के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
2	चतरा	दक्षिणी चतरा	कटकमसांडी से गिधुर	16.63327	दिनांक 03.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। GoI द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को FRA Certificate submit करने को कहा गया है, जो लम्बित है।	प्रयोक्ता अभिकरण को अविलम्ब FRA Certificate उपलब्ध करायेंगे।	
3	चतरा	दक्षिणी चतरा	पदमा से इटखोरी	12.69635	दिनांक 03.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। भारत सरकार के पास लम्बित है।	इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया जाय।	



	चतरा	दक्षिणी चतरा	पत्थरगड़ा से सिमरिया	8.2409	दिनांक 03.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। GoI द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को FRA Certificate submit करने को कहा गया है, जो लम्बित है।	प्रयोक्ता अभिकरण को अविलम्ब FRA Certificate उपलब्ध करायेंगे।	
5	चतरा	दक्षिणी चतरा	करेदारी से टान्डवा	6.043835	दिनांक 20.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। भारत सरकार के पास लम्बित है।	इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया जाय।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची सभी संबंधित उपायुक्तों के साथ FRA Certificate के लिये एक बैठक आयोजित करेंगे। जिसमें डी०भी०सी० के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
6	चतरा	दक्षिणी चतरा	चतरा से प्रतापपुर	7.019853	दिनांक 03.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। GoI द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को FRA Certificate submit करने को कहा गया है, जो लम्बित है।	प्रयोक्ता अभिकरण को अविलम्ब FRA Certificate उपलब्ध करायेंगे।	
7	चतरा	उत्तरी चतरा	जोरी से हंटरगंज	5.908035	GoI के पत्रांक 5/जे० ए० सी०/225/212-BHU दिनांक 20.09.2012 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई करायेंगी।	

8	चतरा	उत्तरी चतरा	प्रतापपुर से कुन्दा	10.51863	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/219/212-BHU दिनांक 20.09.2012.के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।	
9	चतरा	उत्तरी चतरा	चतरा से प्रतापपुर	12.684	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/227/212-BHU दिनांक 03.09.2012 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।
10	हजारीबाग	पूर्वी हजारीबाग	सिन्दुर से डेमोटॉइ	8.715	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/231/212-BHU दिनांक 18.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।	

*Handwritten signature*

11	हजारीबाग	पश्चिमी हजारीबाग	कटकमसान्डी से बलबल	6.319	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/235/212-BHU दिनांक 18.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।	
12	हजारीबाग	पश्चिमी हजारीबाग	डेमोटॉण्ड से बरकागाँव	20.427	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/231/212-BHU दिनांक 18.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।
13	हजारीबाग	पश्चिमी हजारीबाग	पदमा से गुरुकुरहा 33KV line	2.9034	GoJ के पत्रांक 2402 दिनांक 04.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।	

2

14	चतरा	दक्षिणी चतरा	गिद्धौर से पत्थरगड़ा	10.13592	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/234/212-BHU 18.06. 2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।	
15	हजारीबाग	दक्षिणी चतरा	11KV लावालौंग ब्लॉक फिडर	22.984875	प्रस्ताव GoJ के पत्रांक 4630, दिनांक 23.11.2013 के द्वारा MoEF, GoI को भेजा गया। GoI द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को revised format में FRA submit करने का निदेश दिया गया, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के पास लम्बित है।	प्रयोक्ता Agency को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रस्ताव पी0सी0सी0एफ0 को समर्पित करना सुनिश्चित करें।	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची सभी संबंधित उपायुक्तों के साथ FRA Certificate के लिये एक बैठक आयोजित करेंगे। जिसमें डी0भी0सी0 के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
16	गिरिडीह	पूर्वी गिरिडीह	देवरी से तिसरी 33KV line	4.9253	GoI के पत्रांक 5/JHB/229/2012-BHU, दिनांक 13.07.2012 के द्वारा Stage-I Grant किया गया and compliance GoJ के पत्रांक 307, दिनांक 22.01.2014 द्वारा MoEF, GoI को भेज दिया गया, जो अभी तक लम्बित है।	इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया जाय।	इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया जाय।

	गिरिडीह	पूर्वी गिरिडीह	बेंगावाद ब्लॉक 33KV line	3.132	GoJ के पत्रांक 2400, दिनांक 04.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगी।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगी।
18	गिरिडीह	पश्चिमी गिरिडीह	जमुआ से भोरनसिवा 33KV line	4.205	GoJ के पत्रांक 2401, दिनांक 04.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगी।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगी।
19	सिमडेगा	सिमडेगा	कामडारा से कोलेबीरा 33 KV line	3.14	विभाग को प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।	प्रयोक्ता Agency को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रस्ताव पी0सी0सी0एफ0 को समर्पित करना सुनिश्चित करायेंगे।	प्रयोक्ता Agency को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रस्ताव पी0सी0सी0एफ0 को समर्पित करना सुनिश्चित करायेंगे।
20	गिरिडीह	पूर्वी गिरिडीह	गवान ब्लॉक फिडर 11 KV	0.70	जिला स्तरीय समिति के द्वारा प्रस्ताव पर निर्णय लेना है।	उपायुक्त, गिरिडीह को जिला स्तरीय समिति में शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया।	उपायुक्त, गिरिडीह जिला स्तरीय समिति में 15 दिनों के अंदर निर्णय लेकर निष्पादित करें।

मुख्य सचिव  
झारखण्ड, राँची


ज्ञापांक

1572

/राँची, दिनांक 09-06-2014

05/उ0नि0/उच्च स्तरीय समिति/01/2014

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधि(न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू/प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान/निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि0, झारखण्ड, राँची/प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0, झारखण्ड, राँची/निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, धुर्वा, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक(नोडल ऑफसर), वन भवन, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता ग्रामीण विद्युतीकरण, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची/मुख्य अभियंता (आ0 एवं वित0) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची/मुख्य अभियंता(ई0) DVC श्री मेन्सन एयर पोर्ट रोड, हिनू, राँची/निदेशक, (तक) जे0बी0यू0एन0एल0, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक अभियंता, रा0गॉ0ग्रा0 वि0यो0, डी0वी0सी0, गिरिडीह/उपायुक्त, गिरिडीह/उपायुक्त, राँची/उपायुक्त, बोकारो/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक उद्योग  
झारखण्ड, राँची।